न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

1. राजस्व अपील संख्या 49/2016

1. रतन सिंह पुत्र धन्ना सिंह
2. जैता सिंह पुत्र धन्ना सिंह
3. महावीर सिंह पुत्र धन्ना सिंह
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम बडल्या, तहसील व जिला अजमेर, अपीलान्ट संख्या 1 जरिये मुख्त्यार आम सांवर सिंह पुत्र जैता सिंह, जाति रावत निवासी ग्राम बडल्या, तहसील व जिला–अजमेर। .....अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार –प्रथम अजमेर। ..... रेस्पोडेन्ट

2. राजस्व अपील संख्या 50/2016

1. रतन सिंह पुत्र धन्ना सिंह
2. जैता सिंह पुत्र धन्ना सिंह
3. महावीर सिंह पुत्र धन्ना सिंह
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम बडल्या, तहसील व जिला अजमेर, अपीलान्ट संख्या 1 जरिये मुख्त्यार आम सांवर सिंह पुत्र जैता सिंह, जाति रावत निवासी ग्राम बडल्या, तहसील व जिला–अजमेर। .....अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार –प्रथम अजमेर। ..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री मौहम्मद इकबाल अभिभाषक अपीलार्थी०
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 04.01.2018

उपरोक्त दोनों ही अपीलों में समान तथ्य एवं समान कानूनी बिन्दू नीहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाना न्यायोचित होगा। आदेश की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें। संक्षिप्त में दोनों ही अपीलों के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत 2072 में सर्व श्री रतन सिंह,श्री जैता सिंह, व श्री महावीर सिंह पुत्रगण श्री धन्ना जाति रावत निवासीगण ग्राम बडल्या तहसील अजमेर जिला–अजमेर के द्वारा ग्राम बडल्या तहसील व जिला अजमेर स्थित सिवाय चक आराजी खसरा संख्या 8 रकबा 0.36, खसरा संख्या 9 रकबा 0.28, व खसरा नं0 12 रकबा 0.10 हैक्टर खसरा संख्या 14 रकबा 0.76, खसरा संख्या 15 रकबा 0.18, व खसरा नं0 16 रकबा 4.50 हैक्टर खसरा संख्या 16/6030 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा संख्या 16/6031 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नं0 16/6032 रकबा 0.03 हैक्टर खसरा संख्या 20/5604 रकबा 0.20, खसरा संख्या 1/5598 रकबा 0.24

जिला कलक्टर
अजमेर

हैक्टयर कुल किता 11 कुल रकबा 6.71 हैक्टयर भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल ज्वार काश्त कर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार–प्रथम, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिस पर अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 8/2015 दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण के विचाराधीन रहते संवत 2073 में इन्ही व्यक्तियों द्वारा खसरा नम्बर 16/6031, खसरा नं0 20/5604 व खसरा नम्बर 1/5598 को छोडते हुए पुनः विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल तिल, ज्वार, पालक व प्याज काश्त कर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार–प्रथम अजमेर के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रकरण राजस्व प्रकरण संख्या 02/2016 दर्ज किया जाकर दोनों प्रकरणों को शामिल कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 6.10.2016 को निर्णय पारित किया गया। पारित निर्णय अनुसार अतिक्रमियों की विवादित भूमि से बदेखली व शास्ति कायम करने के साथ ही मौके पर खडी फसल को जब्त कर नीलाम करने के आदेश के साथ ही उन्हें पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 06.10.2016 से असन्तुष्ट होकर यह अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपीले दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा अपनी बहस में अपील तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि अपीलान्ट्स की जर खरीद खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। अपीलान्ट्स द्वारा विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार रतना पुत्र मोती, छीतर पुत्र बरदा, उगमा पुत्र गोमा, काना पुत्र इन्दा, हरजी पुत्र नाथा जाति रावत निवासी ग्राम बडल्या तहसील व जिला– अजमेर से जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 19.01.1938 को कय कर कब्जा एवं दखल प्राप्त कर लिया था। उक्त विकय पत्र के आधार पर अपीलान्ट्स आज दिवस तक विवादित भूमि पर काबिज काश्त है। उन्हौने आगे कथन किया कि जमाबंदी संवत 2015 से 2018 एवं 2019 से 2022 में भी विवादित भूमि विकेतागण के नाम खातेदारी में दर्ज रही है। विकय पत्र दिनांक 19.01.1938 के आधार पर कय शुदा आराजी का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में नहीं होने के कारण अपीलान्ट्स के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष राजस्व वाद प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन है। उपरोक्त समस्त तथ्यों की जानकारी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात को नजरअंदाज कर आक्षेपीय आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि बन्दोबस्त विभाग की गलती से उपरोक्त खातेदारी की आराजियात को सिवाय चक दर्ज कर उसकी किस्म बरडा के स्थान पर चारागाह दर्ज की गई। जिसका लाभ उठाकर अपीलान्ट्स के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उन्हे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान किये बिना अपीलान्ट्स की खरीदशुदा भूमि से बेदखल करने का आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट्स ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया कि "अपीलान्ट्स को बार–बार साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु उनके द्वारा कोई जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये।" जब कि दिनांक 29.9.2016

जिला कलक्टर
अजमेर

को अपीलान्ट्स के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि आगामी पेशी पर जवाब प्रस्तुत कर दिया जावेगा। इसके बावजूद उक्त प्रार्थना पत्र को नजरअंदाज कर आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया गया। उन्होंने आगे कथन किया कि अपीलान्ट्स अत्यन्त वृद्ध व्यक्ति है जो अपनी कयशुदा भूमि पर क़ाबिज काश्त है, जिसकी दुरूस्ती का वाद भी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में यदि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश की पालना की जाती है तो अपीलान्ट्स अपनी कय शुदा भूमि से मरहूम हो जायेंगें तथा उन्हें अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कार्यवाही को नियमित राजस्व वाद के निस्तारण तक रोका जाना आवश्यक है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावें।

विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है। तथा अपीलान्ट्स उक्त भूमि पर बहैसियत अतिक्रमी काबिज है। अपीलान्ट्स का यह कथन गलत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्हें साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, जबकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर दिये गये है, किन्तु अपीलान्ट्स अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहें है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट्स आदतन अतिचारी है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमणों को रोकने हेतु अतिक्रमियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है तथा अपीलान्ट्स अतिक्रमी की हैसियत से विवादित भूमि पर काबिज़ काश्त है। ओपलान्ट्स का यह कथन कि विादित भूमि उनकी कय शुदा आराजी है तथा विवादित भूमि बाबत दुरूस्ती का वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है के सबंध में अपील के जरिये उन्हें कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता। किन्तु अपीलान्ट्स के ग्रामीण परिवेश एवं वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए उनके विरूद्ध हम नरम रूख अपनाया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश में से केवल, की गई तीन माह की सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है। शेष अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10..2016 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.01..2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

04/01/18

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर